न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर(राज.)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **15/2016** (आवंटन निरस्ती)

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....**प्रार्थी**

बनाम

श्री कालू पिता नाथु डांगी, निवासी धोलीमगरी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....**विपक्षी**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (भूमि आवंटन नियम 1970)

उपस्थितः— श्री मनोज कुमार पॅवार, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री भगवतीलाल जैन, अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांकः 09.04.2018

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार मावली द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भु राजस्व अधिनियम (भूमि आवंटन नियम 1970) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेड़ीघासा तहसील मावली की आराजी संख्या 788/255 में से 1 बिघा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि कालु डांगी पिता नाथू डांगी निवासी धोलीमंगरी को भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सहमति से उपजिला कलक्टर वल्लभनगर द्वारा दिनांक 17.02.1983 से आवंटन की गई। जो राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण संख्या 143 दिनांक 25.10.83 से विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई। परन्तु विपक्षी आवंटी द्वारा आवंटीत भूमि पर कब्जा नहीं कर उस पर काश्त नहीं की गई। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970) की शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। मौके पर बाल बच्चो का श्मशान होने, बड़ो के श्मशान में जाने का रास्ता होने एवं जल प्रवाह क्षेत्र नाला

होने से विपक्षी के कब्जे में नहीं हैं। यह की शेष रही भूमि पर विपक्षी द्वारा ईटभट्टो के लिये दिगर व्यक्तियो को देकर गैर कृषि प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही हैं। इस प्रकार विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटीत भूमि को निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई। न्यायालय द्वारा मौके कि रिपोर्ट उपजिला कलक्टर मावली से मंगवाई गई जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी को भूमि का आवंटन दिनांक 17.02.83 को किया गया। परन्तु आज दिनांक तक विपक्षी आवंटी द्वारा आवंटन नियमो की शर्तो की पालना नहीं की गई। राजस्व अभिलेख में आज भी भूमि गैर खातेदारी अधिकार से दर्ज हैं। आवंटन के पश्चात् आज दिनांक तक कभी भी विपक्षी का कब्जा नहीं रहा हैं। नाही उसके द्वारा कभी काश्त की गई हैं। मौके पर बाल बच्चो का श्मशान होने, बड़ो के श्मशान में जाने का रास्ता होने एवं जल प्रवाह क्षेत्र नाला होने से विपक्षी के कब्जे मे नहीं हैं। कुछ भूमि पर विपक्षी द्वारा ईट भट्टो के लिये दिगर व्यक्तियो को देकर गैर कृषि प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही हैं। विपक्षीयो द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाकर शर्तो का उल्लंघन किया जा रहा हैं। संलग्न खसरा संवत् 2041 से 2072 में कही पर भी आवंटीत भूमि में काश्त दर्ज नहीं हैं। भूमि बंजड़ ही अंकित हैं। अभिलेखिय प्रमाण से भी आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। संलग्न उपजिला कलक्टर मावली का पर्चा मौका दिनांक 18.01.18 के अनुसार भी इस भूमि पर श्मशान तक जाने का रास्ता मुख्य सड़क से बना हुआ हैं। इस आराजी की उत्तरी मेड पर जल निकासी का नाला भी हैं। पर्चे मौके में भी यह स्पष्ट रूप से बता रखा है गैर खातेदारी से दर्ज भूमि में दुकान

भी बना दी गई हैं। इसी भूमि पर ईट निर्माण हेतु मिट्टी पड़ी हुई हैं। उपस्थित मौतबिरानो ने बताया कि उक्त भूमि में पुराना बच्चो का श्मशान भी हैं। यानिकी जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन विपक्षी को हुआ है उसका उपयोग विपक्षी द्वारा इस भूमि का कभी भी नहीं किया गया। नाही इसका कभी कब्जा भी रहा हैं। शेष बची भूमि पर वर्तमान में कब्जा भी दिगर व्यक्तियो का हैं। ग्राम पंचायत एवं समस्त ग्रामवासी भी इस भूमि का आवंटन श्मशान की होने से खारीज करवाना चाहते है जिनके प्रार्थना पत्र भी संलग्न पत्रावली हैं। अतः विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से विपक्षी का आवंटन खारीज कराया जाना फरमावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के कथनो का विरोध करते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी को भूमि का आवंटन विधिवत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 12.01.83 को वादग्रस्त भूमि का किया गया। जिसका कब्जा पटवारी हल्का द्वारा विपक्षी को नियमानुसार दिया गया। कब्जा सिपुर्दगी की दिनांक से आज दिन तक विपक्षी का कब्जा हैं। विपक्षी द्वारा भूमि का लगान नियमित रूप से राजकोष में जमा करवाया जाता रहा हैं। उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा अपने पर्चे मौके दिनांक 18.01.18 में भी यह बताया है कि वादग्रस्त आराजी के चारो ओर पत्थर की कोट/बाड़ बनी हुई हैं। एक दुकान का निर्माण हो रहा हैं। यानिकी जो पत्थर की कोट व बाड़ बनी हुई है वह विपक्षी द्वारा ही बनायी गई है यानिकी कब्जा विपक्षी का ही हैं। विपक्षी द्वारा नियमित रूप से वादग्रस्त भूमि पर काश्त की जाती रही हैं। परन्तु पानी के अभाव में काश्त नहीं होने से विपक्षी द्वारा भूमि को उपजाउ बनाने हेतु मिट्टी डलवायी गई हैं। भूमि की सारसंभाल हेतु एक कमरा भी मौके पर निर्मित करवाया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। विपक्षी को भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमित

रूप से किया गया हैं। आवंटन के पश्चात् विपक्षी को आवंटित भूमि का कब्जा भी विधिवत दिया गया हैं। उपजिला कलक्टर मावली के पर्चे मौके दिनांक 18.01.18 के अनुसार मौके पर भूमि के चारो ओर कोट व थूर की बाड़ लगी हुई हैं। यानिकी कब्जा भी आवंटन का होना प्रतित होता हैं। परन्तु उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा अपने पर्चे मौके में यह भी बताया है कि इस भूमि पर श्मशान तक जाने का रास्ता मुख्य सड़क से बना हुआ हैं एवं इस आराजी की उत्तरी मेड़ पर जल निकासी का नाला भी हैं। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि विपक्षी को भूमि का विधिवत आवंटन हुआ है परन्तु इस भूमि में से श्मशान जाने हेतु रास्ता भी बना हुआ है जिसे भी नहीं रोका जा सकता हैं एवं पानी के प्राकृतिक प्रभाव को भी नहीं रोका जा सकता हैं।

अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मावली को यह निर्देश दिये जाते है कि वह विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि में से श्मशान पर जाने हेतु रास्ते की भूमि एवं प्राकृतिक पानी के बहाव के रूप में मौके पर बने नाले की भूमि को कम किया जाकर शेष भूमि को राजस्व रेकार्ड में विपक्षी के नाम गैर खातेदारी से पूर्ववत दर्ज करें एवं रास्ते व नाले की भूमि को बिलानाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावें एवं रास्ता इन्द्राज हेतु विधिवत प्रस्ताव बनाकर रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ली जावें।

निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, मावली मय उनकी आवंटन पत्रावली एवं तहसीलदार मावली को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर